मंत्री महोदय और माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज तक पर्यटक को कुल्लू जाने के लिए यहां से आने-जाने का किराया लगभग 4 हजार 80 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो मैं मान्यवर मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो सरासर किराए के नाम से लूट मचाई गई है, इस किराए को कम करने पर क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे ? दूसरा मंत्री महोदय, क्या इस बात से अवगत हैं कि आज जो कुल्लू की हवाई पट्टी है उसकी कुल लंबाई 3700 फुट है और वहां पर एयरो फ्लाइट जाती है जिसके लिए वांछित लंबाई 4800 फुट चाहिए। 800 फुट (?) लंबाई कम है, जिसके फलस्वरूप कभी भी वहां दुर्घटना हो सकती है। तो क्या उस लंबाई को बढ़ाने के लिए मंत्रालय कोई योजना बना रहा है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : सर, जहां तक लंबाई का सवाल है यह आपको तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में लम्बाई करना हमारे बस का काम नहीं है। किसी, के बस का काम नहीं है।

श्री महेश्वरी सिंह : आप अधिकारी को भेजिए और सर्वे करवाइए।

श्री गुलाम नबी आजाद : वरना अगर वहां जगह होती तो हम न सिर्फ बोइंग 737 बल्कि 320 और एअर बस के लिए जरूर एअरपोर्ट बनाते क्योंकि वहां स्कोप है, पोटेंसियल है।

श्री महेश्वर सिंह : आप सर्वे तो करवाइए।

श्री गुलाम नबी आजाद : अगर मेंबर साहब कहीं भी एअर बस के लिए या 747 के लिए भी जगह देने को तैयार हों तो मैं आज ही सेंक्शन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जगह नहीं है। सर, मैंने कंसलटेटिव कमेटी में आंध्रप्रदेश मेंबर को बताया था कि अगर कुछ भी, थोड़ा भी 10-20 फीट भी बढ़ सकता है तो हम बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां तक किराएहै के संबंध में आपने फरमाया, यह सच और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कुल्लू और दिल्ली के बीच में किराया काफी है, लेकिन जैसेकि उसके साथ ही मैंने यह भी बताया कि आपरेशनल कास्ट इस पर बहुत ज्यादा है। अभी हर महीने 1 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हमें यह जहाज चलाने में आता है और अगर हम यह जहाज नहीं चलायेंगे तो हमें सिर्फ 60 लाख रुपए या 65 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो चलाने से 1 करोड 85 लाख का नुकसान होता है।

श्री महेश्वर सिंह : यह घाटा क्या कुल्लू की फ्लाइट से है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : इसलिए जहां बड़े जहाज जा सकते हैं, वहां से भी हमने यह सर्विस विदड्रा की है ताकि इतने लासेस गवर्नमेंट को न हों, लेकिन कुल्लू ऐसी जगह है या नार्थ ईस्ट ऐसी जगह है जहां कि बड़े जहाज नहीं जा सकते। वहां हम लासेस के बावजूद भी यह सुविधा पैसेंजर्स के लिए पहुंचा सकते हैं।

श्री महेश्वर सिंह : मंत्री महोदय, क्या कुल्लू की फ्लाइट में लासेस है ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you need not answer this question. It has already taken a long time. Question No. 203.

रेशम का उदारीकृत आयात

†203. **डा० नौनिहाल सिंह :**
श्री कमल मोरारका :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेशम के आयात पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे देश को किस तरह से लाभ होने की आशा है ;

† सभा में यह प्रश्न डा० नौनिहाल सिंह द्वारा पूछा गया।

(ग) क्या इसका स्वदेशी रेशम उद्योग और रेशमी परिधान उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में रेशम का आयात किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं । अपरिष्कृत रेशम आयात की नियंत्रण सूची में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों की श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं तथा इसके आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के आधार पर अथवा इस संबंध में जारी की गई सरकारी सूचना के अनुसार दी जाती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) देशीय खपत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयोजित रेशम की मात्रा 52.26 मी० टन है ।

DR. NAUNIHAL SINGH: Sir, the effect of India's integration into the the global economy on the country's rural sector needs far greater attention than it has received so far in the discussion on economic reforms and structural adjustments. Sir, the trends in sericulture following the presentation of the last Budget, do suggest that these consequences may have already begun to manifest themselves in several areas. My first supplementary is this. What is the quantum of raw silk yarn imported during the years 1990-91, 1991-92, 1992-93? What is the amount incurred thereon and also the targets fixed for such imports during 1993-94? Is it true that the Karnataka Government has appealed to the Central Government to ban import of raw silk as it was adversely affecting the domestic prices and production? If so, what action has been taken by the Government and the details thereof?

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, यह सही है और ऑनरेबल मेंबर के जो क्युश्चंस हैं उसके फिगर्स मैं देना चाहता हूं–

During 1990-91, 6 tonnes of silk was imported at the value of 2.75 lakhs US dollars.

SHRI MURASOLI MARAN: From where?

SHRI MURASOLI MARAN: From Brazil and China. During 1991-92, it was nil and during 1992-93, it was 46.26 tonnes at the value of 15.77 lakhs US dollars.

DR. NAUNIHAL SINGH: Sir, I would like to know whether any efforts are being made by the Government to grow mulberry and other varieties in the non-traditional areas and if so, the details thereof and I would also like to know about the incentives being given or proposed to be given to the silk producers.

श्री जी० : सभापति जी, ऑनरेबिल मैम्बर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ज्यादातर कर्नाटक में यह सिल्क होता है, उसके बाद आंध्रप्रदेश में, थोड़ा सा बंगाल में होता है और थोड़ा सा बिहार में होता है। यह सेरिकल्चर जो सिल्क है, ज्यादातर इसका प्रोडक्शन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है और बाकी जगह कम है। मगर, मैं ऑनरेबिल मैम्बर को इंफोरमेशन देना चाहता हूं कि हाल ही में कर्नाटक के मिनिस्टर, एम० पीज०, एम० एल० एज० और आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर, एम.पीज., एम० एल० एज०, ज्यादातर वहां पर सेरिकल्चर ही है, सभापति जी, उन सबने रिप्रजेण्ट किया कि हमारे ककून्स, जो सिल्क का हमारा प्रोडक्शन है और सेरिकल्चर कल्टीवेटर के लिए बहुत ही कम रेट सिल रहा है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा । इम्पोर्टेड सिल्क को यहां पर लाया जा रहा है और इम्पोर्टेड

सिल्क की वजह से हमारे कल्टीवेशन का दाम बराबर नहीं मिल रहा है। इसके लिए सही है कि इम्पोर्टेड सिल्क बहुत हद तक चीन से और बेलजियम से आ रहा है और उसकी वजह से हमारे ककून्स का रेट बहुत कम हो गया है। उसके साथ साथ रा-मैटेरियल का भी रेट कम हुआ है। आज का रेट ककून्स का 70 रुपए पर किलोग्राम है और उसके बाद 800/- रुपए करीब सिल्क का रेट चल रहा है। तो उसके लिए मैं, सभापति जी, ऑनरेबिल मैम्बर को इफोरमेशन देना चाहता हूं कि इसी तरह से चलता रहा, यह न होकर कुछ सिल्क बाहर से, मैं कण्ट्रीज का नाम लिए बगैर आपसे कहता हूं, कि यह जो कुछ लोग, टेडर्स बाहर से ला रहे हैं, लाकर के यहां का हमारे देश का रेट घटा रहे हैं, इसको किस तरह से रोकना चाहिए? मिनिस्ट्रि उसकी कोशिश में लगी है। इससे हटकर मैं ऑनरेबिल मैम्बर को इफोरमेशन देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया सेरिकल्चर मिनिस्टर्स और ऑल इंडिया सेरिकल्चर कमीशन को मिलाकर 13 तारीख को मैंने एक मीटिंग बुलाई है और उसमें हम निर्णय लेने वाले हैं कि यह जो इम्पोर्ट हो रहा है सिल्क का इसको किस तरह से कम किया जाए और जिस तरह से स्मगलिंग हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए ताकि हमारे सेरिकल्चर कल्टीवेटर को सही दाम मिले और हमारे सिल्क का प्रोडक्शन बढ़े।

श्री यशवन्त सिन्हा: एक आर्डर निकालिएगा, प्रबंध हो जाएगा।

श्री जी० वेंकट स्वामी: वही, उसी पर तो सोचना है।

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, the Minister has agreed to almost all the points raised by my hon. colleague, Mr. Naunihal Singh, and has said that the import of silk has harmed the Indian silk weavers, that the prices have gone down, that in the rural sector, the people who are employed in the silk industry are facing starvation and that the Karnataka Government, within its capacity has tried to do market intervention. But we all know about the State Government's finances. Whichever be the State Government, its finances are extremely limited. The States will not be able to do this on a large scale. In the Union Budget of this year, due to the policy on imports, there is a severe preasure on the domestic industry and the State Governments cannot bail out an industry if this kind of policy is persued I want to know from the Minister specifically as to (a) whether he has taken up with the Finance Ministry to see that the Indian industry is not harmed; and (b) which is even more important, that is, the Finance Ministry's logic is that they are importing silk for exports. The Indian silk is not of an exportable quality. What steps is the Central Silk Board or the Ministry taking for the cultivation of "bi-voltin" silk worm eggs due to which superior silk can be produced for exports? There are thousands of weavers who are dependent on silk weaving not only in Karnataka but also in Uttar Pradesh, near Lucknow and throughout India. Now, all these people will go to starvation and our ancient craft will go and you will be adding to your problems. I don't mind if there is a new thinking on exports. Unless the other Ministries co-ordinate with the Finance Ministry, I am afraid the Budget will produce someting and problems are created somewere else. So, please tell us what specific steps you are taking.

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति जी, यह 1990 के आखिर में एक बीमारी शुरू हुई सेरीकल्चर के लिए जिसका नाम था—पेब्रिन और उस बीमारी की वजह से हमारे कल्टीवेटर्स को नुकसान पहुंचा है। अध्यक्ष जी, उस जमाने में सारे रेट्स 1900 रुपये प्रति के. जी. तक चले गए। तो इस साल उसको तकलीफ हो रही है क्योंकि रेट कम

मिल रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह थी। अब रहा यह कि इसको किस तरह से ऊपर ले जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसा ऑनरेबल मैम्बर ने महसूस किया, फाइनेंस मिनिस्टर से कहना, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैंने इससे पहले भी बात की..(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: अभी भी बात कर सकते हैं।

श्री जी० वेंकटस्वामी: अभी भी बात किया, मैंने इसे प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाया कि यह हमारी सिल्क इंडस्ट्री 300 साल पुरानी इंडस्ट्री है और अगर इसको जिंदा रखना है तो हमें कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट किया है कि प्रणव मुखर्जी, फारेन ट्रेड मिनिस्टर से बात करिए और बात करके इम्पोर्ट आफ सिल्क के लिए क्या करना चाहिए, उसको आप कीजिए। मैंने उनसे भी बात की है। अनकरीब मैंने मीटिंग रखी है, उससे मैं निर्णय करता हूं और उसके बाद जो आल इंडिया, हरेक स्टेट ..(**व्यवधान**)..यह अचानक आ गया है, तो उसको किस तरह से सुधारना चाहिए, किस तरह से यह कल्टीवेशन, जो सेरीकल्चर की है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मैं उसकी पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं। ऑनरेबल मैम्बर को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फारेन ट्रेड मिनिस्टर से बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात करके यह इम्पोर्ट के सिलसिले में...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: If you don't want to convince him, we will convince the Finance Minister.

MR. CHAIRMAN: That is an assurance.

SHRI G. VENKATSWAMY: No, that is not an assuraance.

मैं इस बात की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं कि इन कल्टीवेटर्स को किस तरह से नुकसान से बचाएं और इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं और उसी तरह से एक्सपोर्ट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिल्क, यहां का सिल्क यहां रहे और जो इम्पोर्ट किया जा रहा है वही सिल्क एक्सपोर्ट के लिए भी यूज हो, उसकी भी चेकिंग हम अब से शुरू करने वाले हैं ताकि हमारे सिल्क का यहां सही मायने में इस्तेमाल हो।

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Sir, already my colleagues have asked a question as to how and when the import of silk would be stopped to protect the interests of the silk grower as well as the silk industry. So, I need not repeat that.

Sir, Karnataka produces 70 per cent of the total silk produced in our country and has the greatest employment potential, particularly for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Karnataka Government, with assistance from the World Bank, has expanded the production of silk and is producing quality silk and the area of cultivation is also extended. The farmers of Karnataka are producing quality silk. We have taken loans from the World Bank and other institutions for developing the silk industry. So, by allowing import of silk freely you are damaging the interests of the grower, the industry and the employment potential also. Why did you allow import of silk when the Government of Karnataka, the silk industry of Karnataka are, from the very beginning, against the import of silk? The impact of import has caused an extensive damage to both the industry and grower. Will you take the House into the confidence and tell within what period you will take steps to stop imports and help the industry and the growers?

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति जी, इम्पोर्ट तो होता है एडवांस लाइसेंसिंग के तहत। जो लोग यहां से एक्सपोर्ट करते हैं उनको एडवांस लाइसेंसिंग दिया

जाता है तो इस प्वाइंट आफ ब्यू से थोड़ा सिल्क लाते हैं एक्सपोर्ट परपज के लिए। हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए जिस सिल्क की जरूरत है उस सिल्क को हम बाहर से नहीं लाने देते। हम दूसरी ओर कोशिश कर रहे हैं कि जो सिल्क इम्पोर्ट होता है वह पूरी तरह एक्सपोर्ट हो। उससे क्या होगा कि हमारा जो इंडिजनस सिल्क है उसका रेट आगे बढ़ेगा। इसकी पूरी जांच पड़ताल करके मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपने जैसा कहा वीकर सेक्शन इंडस्ट्री है, आधे एकड़ वाला, एक एकड़ वाला, दो एकड़ वाला जो सेरी कल्चर कल्टीवेशन करता है अगर उसको बराबर मेहनत करने के बाद भी रेट बराबर नहीं मिले तो सही माने में वे भूखे मरते हैं। हमने इनवेस्टीगेट किया है, मैं खुद गया हूं कर्नाटक में। मैंने अपने सामने खड़े होकर कराया है तो उनको 70 रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम सारी चीजों को स्टडी करके आइन्दा के मिनिस्टर्स कान्फेंस में एक निर्णय करेंगे। यह भी सही है इसका इंस्टीट्यूशन जगलोर में है और सारे देश में सिल्क इंडस्ट्री के फैलाव के लिए कोशिश की जा रही है। मैं आनरेबल मेम्बर को विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने दिया है तेजी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Mentay Padamanabham;

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Sir, Andhra Pradesh also is one of the States which are producing silk. Tamil Nadu is only weaving the silk produced in Andhra Pradesh. In some of the rainshadow areas like Rayalseema in Andhra Pradesh, sericulture is now giving a lot of employment to the people who are otherwise unemployed. Of late, the sericulturists are complaining that they are not able to get remunerative prices for the silk produced by them.

I would like to know from the honourable Minister what steps the Central Silk Board, in consultation with the State Silk Boards, proposes to take to come to the assistance of sericulturists who are producing cocoons on a large scale and who are not getting remunerative prices. One reason for this is that there has been large-scale smuggling of silk *via* the overland routes and the Minister also, while replying to the earlier questions, alluded to it. I would like to know from the Minister what steps the Government of India proposes to take to curtail smuggling of silk.

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, मैंने अपने जवाब में आन्ध्र प्रदेश को इंक्लूड किया हुआ है। आनरेबल मेम्बर आन्ध्र प्रदेश से आते हैं और मैं भी आन्ध्र प्रदेश से आता हूं।

मानीय सदस्य : इसीलिए दोनों बगल में बैठे हुए हैं।

श्री जी० वेंकट स्वामी : हां, हम बाजू में बैठे हैं। मैं आरेबल मेम्बर को विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्नाटक के साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश में भी सेरीकल्चर इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। इसी में हम लगे हुए हैं। दूसरा प्वाइंट इन्होंने स्मगलिंग के बारे में कहा था। यह बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे सिल्क की समगलिंग होने की वजह से हमारे कल्टीवेटर्स पर इफेक्ट पड़ा है। इसके लिए हम फाइनेंस मिनिस्टरी के नोटिस में लाये हैं। सीरियसली उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। बहुत हद तक कुछ महीनों के अंदर उसके ऊपर एक्शन होगा ताकि हमारी जो सिल्क इंडस्ट्री है जो बिल्कुल खराब हालत में है वह आगे बढ़ सके।

श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमा : जनाब चेयरमैन साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज का उसी वक्त इम्पोर्ट किया जाता है जब कि उस चीज की हमारे मुल्क में किल्लत

हो, दिक्कत हो। जहां तक सिल्क का सवाल है, हिंदुस्तान जहां मुख्तलिफ देशों के ताल्लुक से जाना-पहचाना जाता है, सिल्क भी यहां की एक अहम सनत रही है। हम देख रहे हैं हुकूमत की जो इम्पोर्ट की पालिसी रही है सिल्क की, उससे इस बात के कवि इम्कानात पैदा हुए हैं कि हमारे सिल्क की घरेलू सनत मुतास्सिर होगी। हम देख रहे हैं और हमारे मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं इस वजह से कि उनका भी ताल्लुक उसी स्टेट से है, आंध्र प्रदेश से और मेरा ताल्लुक भी उसी स्टेट से है।

जहां तक सेरिकल्चर का सवाल है, हुकूमत की सरपरस्ती नहीं होने की वजह से सेरिकल्चर आंध्र प्रदेश में बुरी तरह मुतास्सिर हो रहा है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट को जितनी खातिरख्वाह ग्रांट देनी चाहिए थी सेरिकल्चर के जो फार्मर्स हैं, उनको वह ग्रांट नहीं दे रही है और फिर मरकजी हुकूमत भी खातिरख्वाह उसकी हिम्मत-अफजाई नहीं कर रही है। अगर हमें इस घरेलू सनत को बाकी रखना है तो सबसे पहले हुकूमते हिन्द का और स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज हो जाता है कि सेरिकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनको खातिरख्वाह इमदाद दें और मुझे यकीन है कि अगर आप से रिकल्चर की सनत को बढ़ावा देंगे तो आपको सिल्क बाहर से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: If you want to have an answer, please put your question now.

श्री मोहम्मद खलीलुर्रहमा : मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप ने सेरिकल्चर के ताल्लुक से कुछ ऐसी स्कीम बनाई है कि सेरिकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं?

†[شری محمد خلیل الرحمان

جناب چیرمین صاحب - آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اسوقت امپورٹ کیا جاتا ہے جبکہ اس چیز کی ہمارے ملک میں قلت ہو - دقت ہو - جہانتک سلک کا سوال ہے - ہندوستان جہاں مختلف ڈیشوں کے تعلق سے جانا پہچانا جاتا ہے - سلک بھی یہاں کی ایک اہم صنعت رہی ہے - ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو امپورٹ کی پالیسی رہی ہے سلک کی - اس سے اس بات کے قوی امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے سلک کی گھریلو صنعت متاثر ہوگی - ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے منسٹر صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں اس وجہ سے کہ انکا بھی تعلق اسی اسٹیٹ سے ہے آندھرا پردیش سے اور میرا تعلق بھی اسی اسٹیٹ سے ہے جہانتک سیریکلچر کا سوال ہے حکومت کی سرپرستی نہیں ہونے کی وجہ سے سیریکلچر آندھرا پردیش میں بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے - ایک تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو جتنی خاطر خواہ گرانٹ دینی چاہئے تھی سیریکلچر کے جو فارم ہیں انکو وہ گرانٹ نہیں دے رہی ہے اور پھر مرکزی حکومت بھی خاطر خواہ اسکی ہمت افزائی نہیں کر رہی ہے - اگر ہمیں اس گھریلو صنعت کو باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلے حکومت ہند کا اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ سیریکلچر کے جو فارمرس ہیں انکو خاطر خواہ امداد دیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیریکلچر کی صنعت کو بڑھاوا دیں گے تو آپ کو سلک باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی...]

†[] Transliteration in Arabic Script.

MR. CHAIRMAN: If you want to have an answer, please put your question now.

†[شری محمد خلیل الرحمن : میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہونگا کہ کیا آپ نے سیریکلچر کے تعلق سے کچھ ایسی اسکیم بنائی ہے کہ سیریکلچر کے جو فارمس ہیں انکی آپ مدد کر رہے ہیں ۔]

श्री जी० वेंकटस्वामी: सभापति जी ऑनरेबल मेंबर का जो क्वश्चिन है, आंध्र प्रदेश में सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मदद कर रही है या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रही है या नहीं, यह मेन क्वश्चिन है। अध्यक्ष जी, मैं ऑनरेबल मेंबर को इनफॉरमेशन देना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है... (**व्यवधान**) मैंने आपको बताया कि सनत में जो एकदम गिराव आया है, स्मगलिंग से जो सिल्क आ रहा है और उसकी वजह से हमारे कल्टीवेटर्स को बराबर रेट नहीं मिल रहा है और सिल्क का प्राईस जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। उसके लिए मैं ऑनरेबल मेंबर को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आने वाली मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में हम निर्णय करेंगे। अगर कल्टीवेटर को कोई तकलीफ होती है, उसको दूर करने के लिए मैं उन मिनिस्टरों से गुजारिश करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Shri T. N. Chaturvedi.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVED: Sir....

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, so many women are involved in silk production...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: And also in weaving.

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, I yield to her.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Thank you so much. Sir, it has revived my hopes that there is gallantry in politics.

MR. CHAIRMAN: Still there is chivalry left.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Chivalry is more evident when silk is involved.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, a lot of women are involved in both cultivation and weaving of silk. Sir, due to this recent policy, there is a severe set-back. Sir, I want to know from the hon. Minister whether he is considering waiving of loans of sericulture farmers who have suffered a severe set-back this year.

SHR G. VENKAT SWAMY: Sir, it is under consideration.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर मंत्री जी बचना चाहते हैं सवाल के जवाब से तो हर महिला सदस्य को एक-एक सिल्क साड़ी भेंट करें। तब वह सवाल के जवाब से बच सकते हैं।

SHRI B. K. HARIPRASAD: Sir, the Minister has admitted that due to import of silk, the sericulture industry is affected, specially in Karnataka. In view of this fact, I want to know whether the Government would ban the import of raw silk totally or restrict its import or increase the customs duty on the silk imported so as to protect the indigenous industry in Karnataka because 70 per cent of the rural population, specially, womenfolk are involved in this silk industry. I would like to have a specific answer from the Minister since it is one of the largest cottage industries based in Karnataka.

श्री जी० वेंकट स्वामी: सर, मैं आलरेडी बोल चुका हूं कि ये रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट पालिसी हैं जिसके तहत हम रेयरस्ट्री लाइसेंस देते हैं और वह लाते हैं और

दूसरा ऐडवांस लाइसेंसिंग के तहत इसको इम्पोर्ट किया जाता हैं । तीसरा, इम्प्लाइमेंट के बारे में आप ने कहा लेडीज के . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री बी०के० हरिप्रसाद : उसमें डयूटी लगायेंगे या नहीं, यह बताइए जो पूरा सिल्क इंपोर्ट कर रहे हैं ? . . .

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, जवाब मैं पहले दे चुका हूं । आनरेबल मेंबर बहुत परेशान हैं लेडीज के बारे में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रह हैं, वह उन्होंने सवाल किया है । बहुत सारी लेडीज इसमें काम कर रही हैं, सारीकल्चर में, वीविंग से लेकर पहनने तक भी इसमें बहुत सारी लेडीज काम करती हैं । उनके वेल्फयर के लिए हम कदम उठा रह हैं . . .

SHRI MENTAY PADMANABHAM: That is also one way of protecting indigenous silk industry.

MR. CHAIRMAN: We might end with this compliment. Question Hour is over.

@ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development work at Coimbatore and Madurai Airports

*204. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI K. K. VEERAPPAN:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what is the number of passengers who availed facilities at Coimbatore Airport and at Madurai Airport during the last three years;

(b) what is the total amount spent on each of these airports during the last three years for development work;

(c) what is the future expansion programme for these two airports;

(d) whether it is a fact that there is no night landing facility available at either of these airports;

(e) whether Government propose to take steps to provide night landing facilities at both these airports in the near future; and

(f) if the answer to part (e) above be in the negative, the specific reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Number of pasengers who availed airport facilities during the last three years is as under:—

	1990-91		1991-92		1992-93	
	Indian Airlines	Vayudoot	Indian Airlines	Vayudoot	Indian Airlines	Vayudoot
Madurai	35,249	No operations	44,700	545	43,352	230
Coimbatore . . .	1,16,588	4562	1,54,230	8467	1,20,013	6677

@ The Questions relating to the Ministry of Communications were answered by Shri P.V Rangayya Naidu, the Minister of State in the Ministry of Power.